

12⁰²
24

पतावली पेश हुई। वकील वादी एवं स्वयं
वादी अनुपस्थित। आवार्ज लगवाई गई। लेकिन
उनकी तरफ से कोई हाजिर अदालत नहीं आया।
लिहाजा वादी का वाद अदम हाजरी अदम परवी
में आरिज किया जाता है। प्रकरण नंबर से
कम हीकर दायिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/02/24 को करे 2 जलाश
सुनाया गया।